(d) whether it is a fact that due to the inability of Coal India Limited, to supply coal as per linkage, Tamil Nadu Electricity Board had to resort to import coal?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COAL (SHRI P. A. SANGMA): (a) and (b) Details of coal demand *vis-a-vis despatches to power* houses of Tamil Nadu Electricity Board (TNEB) during each of the last three years are as follows:

(in '000 tonnes)

Year	Demand	Supplies	%Materialisation
1991-92	9273	7824	84.37%
1992-93	8888	8686	97.72%
1993-94	9970	9558	95.86%

(c) No shortfall in supply of coal to TNEB is anticipated during the year 1994-95.

(d) Presently, all the three thermal power stations of the TNEB are having comfortable stocks, the details of which are as under:

Name of the power house	Stock in '000 tonnes (as on 7-12-1994)	No. of days consumption
Tuticorin	236	17
Mettur	188	16
Ennore	90	10

In addition, sufficient coal is available at the ports. TNEB has been requested to deploy more ships to evacuate coal from the ports in order to enable Coal India Limited and Railways to maintain the present rate of supply of coal to it. As such TNEB's decision to import coal does not appear to have been taken because of less availability of indigenous coal.

कोयले की रायल्टी दरों में वृद्धि

1750. **श्रीमती सुषमा स्वराज :**

श्री राम जेठमलानी :

क्या कोयलामंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 सितम्बर, 1994 के "फाइनेंशियल एक्सप्रेस" में "मैन्टर पुट्स ऑफ मूव टू हाईक कोल रायल्टी रेट्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि 1 जनवरी, 1994 से कोयले पर रायल्टी की नई दरें निर्धारित करना अनिवार्य हो गया है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा निर्धारित समय से पहले रायल्टी की नई दरें निर्धारित न किए जा सकने के क्या कारण हैं और अगस्त, 1994 से पहले नई दरें निर्धारित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा): (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं । कोयले पर रायल्टी की दरों में पूर्व में दिनांक 1-8-1991 को संशोधन किया गया था । खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 9(3) की शर्तों के अंतर्गत रायल्टी की दरों में 1 अगस्त, 1994 से पूर्व वृद्धि नहीं की जा सकती है ।

(ग) कोयले पर रायल्टी की दरों में अब दिनांक 11-10-1994 से संशोधन कर दिया गया है ।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच किया जाना

1751. **श्रीमती सुषमा स्वराज :**

श्री राम जेठमलानी :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1992 में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा भारत कोकिंग कोल लिमिटेड संचालित खानों में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो जांच रिपोर्ट का ब्यौरा और दोषी पाए गए व्यक्तियों के नाम क्या हैं ;

(ग) भ्रष्टाचार के कारण कंपनी को कितनी राशि का नुकसान होने का अनुमान है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि जांच रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार ने दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की थी ; और

(ङ) यदि हां, तो कौन-कौन से व्यक्ति दोषी पाए गए थे और उन्हें क्या-क्या दंड दिया गया ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा): (क) से (ङ) इस संबंध में सूचना केन्द्रीय जांच ब्यूरो से एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

कोयले की चोरी होना

1752. **श्री आस मोहम्मद :**

चौधरी हरमोहन सिंह :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ढुलाई के दौरान प्रति वर्ष हजार टन कोयले की चोरी हो रही है ;